राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या–21/2023

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें –राज्यपाल

पटना, 21 जनवरी, 2023 :– महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान ने बिहार मानवाधिकार आयोग के 14 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ऊर्जा ऑडिटोरियम, पटना में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों को किसी व्यक्ति का जन्मजात अधिकार माना जाता है। हमेशा और सभी जगह मिलनेवाले ये अधिकार सबके लिए समान होते हैं तथा किसी व्यक्ति को रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति या अन्य आधारों पर इनसे वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति से इन अधिकारों को छीन नहीं सकता है। राज्यपाल ने कहा कि व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गयी तथा मनुष्य की गरिमा और अधिकारों के मामले में समानता दी गई। साथ ही, यह भी कहा गया कि उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण विकास, सामाजिक प्रगति व प्रतिष्ठा तथा जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है तथा राज्य का प्रमुख दायित्व है कि वह नागरिकों के इन अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 10 दिसम्बर, 2008 को बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना की स्थापना की गई। यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा प्रदत्त दायित्वों एवं शक्तियों के आलोक में अपने स्थापना काल से ही मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु बिहार मानवाधिकार आयोग सतत प्रयत्नशील है। आयोग द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में त्वरित तथा कई महत्वपूर्ण मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई की जाती है। माह जुलाई, 2019 से एच०आर०सी० नेट पॉर्टल के माध्यम से परिवादों की प्राप्ति एवं कार्रवाई की ऑन लाईन व्यवस्था शुरू होने से परिवादी ऑन लाईन परिवाद दाखिल कर सकते हैं। किसी भी केस से संबंधित सुनवाई की तिथि एवं आदेशों को ऑन लाईन देखा जा सकता है। इससे आयोग के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है एवं आम जन को भी सुविधा हुई है।

आगे पृष्ठ ..... 2 पर

कार्यक्रम में बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिन्हा ने राज्यपाल को पौधा और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल ने बिहार मानवाधिकार आयोग की स्मारिका का विमोचन किया तथा निबंध एवं चित्रांकन आदि से संबंधित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया।

कार्यक्रम को बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, न्यायमूर्ति श्री अरविन्द श्रीवास्तव एवं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर बिहार मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री उज्ज्वल कुमार दुबे व श्री शशि शेखर शर्मा एवं सचिव श्री राजेश कुमार तथा अन्य लोग उपस्थित थे।

.....